14/05/15

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक प. 1(5)न्याय/2013 जयपुर, दिनांक 12 MAY 2015

–:अधिसूचना:–

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (सन् 1974 का केन्दीय अधिनियम संख्या 2) की धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजस्थान उच्च न्यायालय के परामर्श से, राज्य सरकार, महिला उत्पीड़न एव दहेज प्रकरणों के मुकदमों के शीघ्र निस्तारण हेतु अपर जिला न्यायालय स्तर के 2 विशिष्ठ न्यायालय निम्नलिखित स्थानों पर उनके प्रारम्भ होने की तिथि से सृजित तथा स्थापित करती है:–

क्र0स0	न्यायालय का नाम	बैठकका स्थान	अधिकारिता क्षेत्र
1.	अतिरिक्त सैशन न्यायालय, महिला उत्पीड़न प्रकरण, संख्या 2, जयपुर महानगर	जयपुर महानगर	संबंधित जिला न्यायाधीश द्वारा निर्धारित किया जायेगा।
2.	अतिरिक्त सैशन न्यायालय, महिला उत्पीड़न प्रकरण, संख्या–2, कोटा	कोटा	संबंधित जिला न्यायाधीश द्वारा निर्धारित किया जायेगा।

नोट:– पूर्व से कार्यरत अतिरिक्त सैशन न्यायालय, महिला उत्पीड़न प्रकरण, जयपुर महानगर का नाम परिवर्तित कर अतिरिक्त सैशन न्यायालय महिला उत्पीड़न प्रकरण, संख्या 1, जयपुर महानगर एवं अतिरिक्त सैशन न्यायालय महिला उत्पीड़न प्रकरण, कोटा का नाम परिवर्तित कर अतिरिक्त सैशन न्यायालय महिला उत्पीड़न प्रकरण, संख्या 1, कोटा निर्धारित किया जाता है।

साथ ही इन न्यायालयों में सामान्यतया महिला उत्पीड़न एवं दहेज प्रकरणों की सुनवाई की जायेगी और अगर किसी न्यायालय में मुकदमों की संख्या अधिक हो, तो संबंधित जिला एवं सैशन न्यायाधीश इन न्यायालयों से दूसरे समान अधिकारिता वाले न्यायालय में प्रकरणों का अन्तरण कर सकेगें।

राज्यपाल के आदेश से,

[signature] 12.5.15

(दीपक माहेश्वरी)
प्रमुख शासन-सचिव

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

क्रमांक : सामान्य/II/7/2013(s)/ 597 दिनांक: 15 /05/2015

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. रजिस्ट्रार (सर्तकता), राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर
2. समस्त रजिस्ट्रार, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर पीठ, जयपुर
3. रजिस्ट्रार वर्गीकरण, रा.उ.न्या., जोधपुर को उच्च न्यायालय की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु
4. संबंधित जिला एवं सेशन न्यायाधीश
5. संबंधित न्यायालय
6. संबंधित मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
7. प्र0अ0न्या0, गोपनीय/ सांख्यिकी/ रा.न्या.से. (स्था.)/ अधी.न्या.(स्था.)/ सामान्य बजट/ भवन/ अंक मिलान लिपिक, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।

[signature] 14/5/15

रजिस्ट्रार (नियम)